क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नाम :– स्वास्थ्य उपकेन्द्र का किराया एवं आकस्मिक मद।

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक–2 के आधार पर)–Sub centre Rent and Contingencies

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर) – B 4.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

राज्य में कुल 9696 स्वास्थ्य उपकेन्द्र कार्यरत है एवं 7,765 वर्ष 2012 तक स्थापित किया जाना था। पूर्व से कार्यरत कई स्वास्थ्य उपकेन्द्र किराये के भवन में कार्यरत है। साथ ही कई नवसृजित स्वास्थ्य उपकेन्द्र भी किराये के भवन में प्रारंभ कराया गया है। प्रत्येक जिलों में उपरोक्त दोनों श्रेणियों के स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के किराये का भुगतान किया जाना है।

पाँच जिले यथा– कटिहार, मुंगेर, पूर्णिया, सारण एवं शेखपुरा जिलों में मांग के आधार पर किराया का दर **अधिकतम 600/–रुपये प्रतिमाह** स्वीकृत किया गया है एवं **तैंतीस जिले** यथा–अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, पष्चिमी चम्पारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमुर, खगड़िया, किषनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुज्जफरपुर, नालन्दा, नवादा, पटना, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, षिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल एवं वैषाली जिलों में मांग के आधार पर किराया का दर **अधिकतम 500/–रुपये प्रतिमाह** स्वीकृत किया गया है । जिला में कई स्थानों पर 500/–रुपये से कम की भी किराया के भवन में स्वास्थ्य उपकेन्द्र कार्यरत होंगे। किराया का भुगतान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के द्वारा किया जाएगा।

इकाई राशि (रु० में) – प्रति प्रखण्ड इकाई राशि निम्नलिखित है :–

- **पाँच जिले** यथा–कटिहार, मुंगेर, पूर्णिया, सारण एवं शेखपुरा जिला हेतु किराया का दर अधिकतम 600/–रुपये प्रतिमाह प्रति स्वास्थ्य उपकेन्द्र ।
- **तैंतीस जिले** यथा–अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, पष्चिमी चम्पारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमुर, खगड़िया, किषनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुज्जफरपुर, नालन्दा, नवादा, पटना, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, षिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल एवं वैषाली जिला हेतु किराया का दर अधिकतम 500/– रुपये प्रतिमाह प्रति स्वास्थ्य उपकेन्द्र ।

वित्तीय दिशा–निर्देश –

स्वास्थ्य उपकेन्द्र के किराये के भुगतान हेतु जिलों को प्राप्त राशि से जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य केन्द्र को भेजी जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा पदाधिकारी किराये का विपत्र तैयार कर उसे पास कर मकान मालिक को चेक के माध्यम से भुगतान करेंगे एव व्यय प्रतिवेदन माह के अंतिम तारीख को जिला स्वास्थ्य समिति को प्रेषित करेंगे। यदि किसी माह किसी स्वास्थ्य उपकेन्द्र का किराये के राशि की उपलब्धता के बावजूद किराया मकान मालिक को भुगतान नहीं किया गया तो जिला स्वास्थ्य समिति संबंधित प्रभारी से भुगतान नहीं किये जाने का कारण प्राप्त कर राज्य को संसुचित करेगी। जिस प्रकार कार्यक्रमों के राशि वितरण किया जाता है उसी प्रकार प्रत्येक माह के प्रारंभ में स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के किराये का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। वर्तमान में 12 महीने के लिए राशि विमुक्त की जा रही है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं०–तिथि के साथ उल्लेखित करें)
(क) **(ख)** **(ग)**

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम श्री अशोक कुमार सिंह,
प्रशासी पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर – 0612–2292059

13/7/13